फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 75 संख्याः 345 प्रभात जयपुर, गुरुवार 17 जुलाई, 2025 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

ARBiT

The Mughal Women Ruled

One person was bitter about Jahanara's huge popularity: Aurangzeb's other sister, Roshanara. Feisty and fun-loving, but resentful that she had to live in Jahanara's shadow

Tears For Life

We Give Medicines To Our Children Too Soon

दादिया में गुरुवार को सहकार एवं रोजगार उत्सव का आयोजन

केन्द्रीय मंत्री अमित शाह प्रदेश को बड़ी सौगात देंगे, युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलेंगे- मुख्यमंत्री भजनलाल

- दादिया में बड़ा सभा स्थल तैयार किया जा रहा है। रिंग रोड पर सभा स्थल पर तीन डोम बनाये गये हैं। तीनों डोम में लगभग एक लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है।

जयपुर के ग्राम दादिया में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य में गुरूवार को होने वाले सहकार एवं रोजगार उत्सव के सभा स्थल की तैयारियों का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक, सांसद मदन राठौड़, सीपी जोशी, मुख्य सचिव सुधांश पंत मौजूद थे।

जयपुर, 16 जुलाई। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य में गुरुवार को जयपुर के ग्राम दादिया में सहकार एवं रोजगार उत्सव का आयोजन होगा। इसी क्रम में, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार शाम को सभा स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का विस्तृत जायजा लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।

शर्मा ने कार्यक्रम स्थल पर मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार आमजन से संकल्प पत्र में किए गये वादों को पूरा कर रही है। अंतिम पायदान पर खड़े जरूरतमंद व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। युवाओं से किये वादे को पूरा करते हुए गुरुवार को आयोजित होने वाले रोजगार उत्सव में नियुक्ति पत्र दिये जाएंगे। उन्होंने कहा कि सहकारिता का गांव, किसान, गरीब और मजदूर से अहम जुड़ाव है। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में इसके विस्तार से इन वर्गों का उत्थान हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने सभा स्थल का निरीक्षण करते हुए, बैठक, पेयजल, पार्किंग सहित अन्य व्यवस्थाओं के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट का "उदयपुर फाइल्स" पर रोक हटाने से इन्कार

उदयपुर,16 जुलाई (कासं)। सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म की रिलीज पर रोक हटाने से फिलहाल इन्कार कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 21 जुलाई को सुनवाई करेगा।

जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाला बागची की बैंच ने ये निर्देश फिल्म निर्माता कंपनी, जानी फायर फॉक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की अपील और कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद जावेद की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

- अदालत ने मौखिक टिप्पणी की कि फिल्म के रिलीज़ होने से मामले का ट्रायल प्रभावित हो सकता है।

जानकारी के अनुसार, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रथम दृष्ट्या ऐसा लगता है कि अगर उदयपुर फाइल्स फिल्म रिलीज होती है तो मामले में चल रहा ट्रायल प्रभावित हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो यह बड़ा नुकसान होगा। अगर मूवी की रिलीज में देरी हो रही है तो आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए मुआवज़ा दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र की ओर से गठित कमेटी से भी कहा है कि वह मामले में जल्द फैसला ले।

प्रार्थी के वकील गौरव भाटिया ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारत को "फिफ्थ जैनरेशन" लड़ाकू विमानों को शामिल करने की स्वीकृति मिली

यह विमान भारत स्वयं "डीआरडीओ" में विकसित कर रहा है। इन आधुनिकतम विमानों को शामिल करने के बाद अमेरिका, रूस व चीन की श्रेणी में आ जायेगा भारत, जिनके पास "फिफ्थ जैनरेशन" आधुनिकतम लड़ाकू विमान की टुकड़ी है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 जुलाई। पाकिस्तान के साथ अपनी पश्चिमी सीमा पर सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए भारत एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। अमेरिका में बने अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर जल्द ही फ्रंटलाइन पर तैनात किए जाएंगे। साथ ही, भारत के घरेलू 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट- 'एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एएमसीए)' को भी हरी झंडी मिल गई है।

ये दोनों पहल भारत की वायु शक्ति को अभी और भविष्य, दोनों में मज़बूत करने की दिशा में अहम मानी जा रही हैं, खासकर तब, जब क्षेत्र में तनाव और शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहे हैं।

21 जुलाई को एएच -64ई अपाचे हेलीकॉप्टरों की पहली खेप हिंडन एयर फोर्स स्टेशन पर उतरेगी, जिससे भारतीय सेना की हमलावर और निगरानी क्षमता बढ़ेगी। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को "टैंक्स इन द एयर" अर्थात "हवाई तोपखाना" कहा जाता है, क्योंकि ये अत्याधुनिक टारगेटिंग सिस्टम, नाइट विज़न नेविगेशन और मल्टी-रोल सेंसर से लैस हैं। ये हर मौसम और कई तरह के मिशनों, जैसे फ्रंटलाइन हमला, शांति मिशन और निगरानी में इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

हालांकि, इनकी डिलीवरी लगभग 15 महीने की देरी से हो रही है, जिसकी वजह करोना महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे वैश्विक कारणों से आपूर्ति श्रृंखला में आई बाधाएं रही हैं।

भारतीय वायुसेना पहले से ही पठानकोट और जोरहाट में अपाचे के दो स्क्वाड्रन चला रही है। उन्हें ये

- साथ ही, 21 जुलाई को "अपाची हैलिकॉप्टर" जिन्हें "टैंक्स इन दी एयर" भी कहा जाता है, की पहली टुकड़ी हिण्डन एयर फोर्स स्टेशन पर पहुँचेगी, भारतीय सेना में शामिल होने के लिए।
- भारतीय सेना ने इन अपाची हैलिकॉप्टर की सप्लाई के लिए, 15 माह पहले ऑर्डर दिया था, पर, कई कारणों से, विशेषकर यूक्रेन-रूस युद्ध के कारण, हैलिकॉप्टरों की सप्लाई में भारी विलम्ब हो गया था। पर, अब ये हैलिकॉप्टर, हिण्डन एयरबेस पर पहुँच रहे हैं।
- भारत की इसी बढ़ी हुई हवाई ताकत की बराबरी करने में अभी पाकिस्तान को काफी समय लगेगा।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जम्मू-कश्मीर में उर्दू की अनिवार्यता पर मचा बवाल

नायब तहसीलदार परीक्षा में उर्दू की अनिवार्यता के राज्य सरकार के आदेश पर सैंट्रल एडिमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने रोक लगाई

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 जुलाई। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सेन्ट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल-सीएटी) ने जम्मू-कश्मीर सरकार के 9 जून के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें नायब तहसीलदार पद के आवेदकों के लिए उर्दू भाषा का ज्ञान अनिवार्य किया गया था।

नौकरी के आकांक्षी उम्मीदवारों द्वारा इस शर्त को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए, सीएटी ने जम्मू-कश्मीर सेवा चयन भर्ती बोर्ड (जेकेएसएसआरबी) को निर्देश दिया कि वह जम्मू-कश्मीर राजकीय भाषाएँ अधिनियम, 2020 के तहत हिंदी, कश्मीरी, अंग्रेज़ी, डोगरी या उर्दू-इन पांच आधिकारिक भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञान रखने वाले स्नातक उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार करे।

सीएटी की दो सदस्यीय पीठ, जिसमें न्यायिक सदस्य राजिंदर डोगरा, जिन्होंने बैंच की अध्यक्षता की, और प्रशासनिक सदस्य राम मोहन जौहरी शामिल थे, ने इस शर्त को "प्रथम दृष्टया भेदभावपूर्ण" बताया और प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 13 अगस्त निर्धारित की।

भाजपा ने सीएटी के इस फैसले का स्वागत करते हुए उर्दू भाषा की अनिवार्यता को "अवैध और भेदभावपूर्ण" करार दिया है।

भाजपा के वरिष्ठ विधायक और अधिवक्ता आर. एस. पठानिया ने पत्रकारों से कहा, "हम सीएटी द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के इस अवैध और भेदभावपूर्ण आदेश पर रोक लगाने के फैसले का स्वागत करते हैं। यह हमारी जीत है।"

- जम्मू-कश्मीर सरकार के इस आदेश का राज्य भाजपा व कई अभ्यर्थियों ने भारी विरोध किया था।
- फिर कुछ अभ्यर्थियों ने इस आदेश को सैंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में चुनौती दी।
- ट्रिब्यूनल की दो सदस्यीय बैंच ने जम्मू-कश्मीर सलैक्शन रिक्रूटमैंट बोर्ड को आदेश दिया कि जम्मू-कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 2020, के तहत हिंदी, कश्मीरी, अंग्रेजी, डोगरी और उर्दू में से किसी भी एक भाषा का जानकार परीक्षा का पात्र है।

हाईकोर्ट ने व्यवसायी की अवैध हिरासत पर जवाब मांगा

जयपुर, 16 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के एक व्यवसायी को अवैध रुप से हिरासत में रखने के मामले में भांकरोटा थाने के एसएचओ को 22 जुलाई को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। वहीं, मामले में जयपुर पुलिस कमिश्नर को शपथ पत्र सहित जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस समीर जैन ने सांगानेर निवासी रामदेव हरितवाल की याचिका पर यह निर्देश दिया। अदालत ने आगामी सुनवाई तक मामले की अग्रिम कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है। मामले से जुड़े अधिवक्ता मोहित खण्डेलवाल ने बताया कि शिकायतकर्ता व प्रार्थी के बीच में रुपयों के लेन-देन व इकरारनामे का विवाद था और कोर्ट में सिविल केस लंबित था। इस मामले में हाईकोर्ट ने भी

- जयपुर पुलिस कमिश्नर को शपथ पत्र देने व भांकरोटा एसएचओ को उपस्थित होने के निर्देश दिए।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव आयोग को पत्र बहुत सोच समझकर लिखा है

नायडू ने मतदाता सूची में "रिविज़न" कर चिंता जताई है, जिससे मुसलमानों का मताधिकार संकट में पड़ सकता है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 जुलाई। तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने नरेन्द्र मोदी-अमित शाह नेतृत्व को स्पष्ट रूप से अपने असंतोष का संकेत दे दिया है। उन्होंने भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के उस निर्देश को लेकर असहमति जताई है, जिसमें बिहार में चल रही विवादास्पद प्रक्रिया की तर्ज पर, सभी राज्यों में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण की बात कही गई है।

टीडीपी के शीर्ष सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि नायडू ने निर्वाचन आयोग को अपनी आपत्तियां बता दी हैं। उन्हें आशंका है कि इस तरह की प्रक्रिया से अल्पसंख्यक मतदाताओं, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के बड़े मुस्लिम मतदाता वर्ग, के मताधिकार पर असर पड़ सकता है। आयोग को भेजे गए टीडीपी के इस सुस्पष्ट पत्र ने राजनीतिक हलकों में बहस छेड़ दी है, और कई विश्लेषकों का मानना है कि यह पार्टी की एक रणनीतिक कोशिश है, ताकि पार्टी स्वयं को मतदाता सूची प्रबंधन के कथित सांप्रदायिक एजेंडे से दूर दिखा सके।

जहाँ नायडू अब भी भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं, वहीं, टीडीपी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि पार्टी पर बिल्कुल स्पष्ट रुख अपनाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। मिश्रित जनसंख्या वाले क्षेत्रों में पार्टी कार्यकर्ता इस बात को लेकर चिंतित हैं कि यदि टीडीपी निर्वाचन आयोग के कदमों का समर्थन करती दिखाई देगी, तो पार्टी को मतदाताओं की नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है।

इस बीच, नायडू अपने विकल्पों पर सावधानीपूर्वक विचार कर रहे हैं। उनकी सरकार को केन्द्र से वित्तीय सहायता का लाभ मिला है, खासकर पिछले चुनावी चक्र में। एक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक के अनुसार, नायडू की रणनीति में व्यावहारिकता और पूर्वानुमान, दोनों शामिल हैं। उसमें यह भी शामिल है कि चूँकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इसी साल 75 वर्ष के हो जाएंगे, इसलिये भाजपा और आरएसएस में नेतृत्व परिवर्तन की संभावना पैदा हो सकती है।

संघ परिवार के भीतर भी मोदी की नीतियों को लेकर असंतोष बढ़ने की खबरें हैं। हालांकि नायडू की एनडीए से तत्काल बाहर निकलने की कोई योजना नहीं है, लेकिन टीडीपी सूत्रों की मानें, तो वे संघ-भाजपा के बदलते समीकरणों और राज्य स्तर की राजनीतिक हलचलों पर पैनी नज़र रखे हुए हैं।

फिलहाल, टीडीपी सर्तकता से सहयोग की नीति पर चल रही है, लेकिन

- नायडू मुस्लिम मतदाताओं को आश्वस्त करना चाहते हैं, जो "रिविज़न" में मताधिकार खोने की आशंका व भ्रम से आतंकित हैं।
- नायडू, मोदी व संघ परिवार के बीच सब कुछ ठीक न होने की चर्चा से प्रभावित हैं। अगर मोदी पचहत्तर साल की उम्र पार करने के बाद, प्र.मंत्री पद त्यागते हैं तो संघ व भाजपा के संबंधों में नये समीकरण बनेंगे। नायडू, इन नये समीकरणों को भी ध्यान में रखते हुए, मतदाता सूचियों पर अपना विकल्प खुला रखना चाहते हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एसीबी केस में कनिष्ठ लेखाकार को 17 साल बाद सजा

जयपुर, 16 जुलाई। एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-2, महानगर द्वितीय ने 17 साल पहले जिला शिक्षा अधिकारी के झुंझुनूं कार्यालय में रिश्वत से जुड़े मामले में तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार शीशराम को दो साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, पीठासीन अधिकारी प्रहलाद राय शर्मा ने अभियुक्त पर चालीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मंजुला जैन ने अदालत को बताया कि ग्राम कांजड़ा-पिलानी स्थित एक निजी स्कूल के सचिव मंजीत सिंह तंवर ने एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में कहा गया था कि स्कूल को सीनियर सैकण्डरी में

- कनिष्ठ लेखाकार 12 मई 2008 को 5 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'न्यायिक सेवा में तीन साल की प्रैक्टिस की अनिवार्यता "मौलिक अधिकारों का उल्लंघन" है'

एडवोकेट चंद्रसेन यादव ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में यह दावा किया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने सर्वोच्च न्यायालय में एक पुनर्विचार याचिका दायर की है, जिसमें न्यायालय के उस हालिया निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसमें सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी) पद के लिए तीन साल की वकालत अनिवार्य कर दी गई थी।

मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति ए. जी. मसीह और के. विनोद चंद्रन शामिल थे, ने 20 मई को निर्णय सुनाया था कि न्यायिक सेवा में आने के लिए उम्मीदवार को कम से कम तीन साल की वकालत का अनुभव होना चाहिए।

कोर्ट ने देश के सभी उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि वे अपने सम्बन्धित सेवा नियमों में संशोधन कर के इस निर्णय को लागू करें।

हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि जहाँ हाई कोर्ट सिविल जज (जूनियर डिविज़न) के पद के चयन प्रक्रिया इस निर्णय से पहले ही शुरु हो गई है, वहाँ यह नियम लागू नहीं होगा।

यह पुनर्विचार याचिका अधिवक्ता सत्य मित्र के माध्यम से दाखिल की गई है। इसमें इस फैसले को 17 आधारों पर चुनौती दी गई है।

याचिका के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने, अन्य बिन्दुओं के साथ ही, 1924 से 1986 तक की पाँच विधि आयोग रिपोर्टों को नज़रअंदाज किया है, जिनमें सर्वसम्मति से वकालत की अनिवार्यता को न्यायिक नियुक्तियों के लिए अनिवार्य मानने से इनकार किया गया था।

इसके अलावा, याचिका में दूसरे न्यायिक वेतन आयोग की रिपोर्ट (2022) का भी हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया था कि इस तरह के पात्रता नियमों को लागू करने से पहले, विस्तृत परामर्श की प्रक्रिया आवश्यक है।

पुनर्विचार याचिका के अनुसार, इस निर्णय में भारत के जुड़िसियल ट्रेनिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं विकास की अनदेखी की गई है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि 2002 के बाद से राज्य न्यायिक अकादमियों द्वारा एक साल का "स्ट्रक्चर्ड" पूर्व-सेवा प्रशिक्षण, जिसमें एक साल का रेजिडेन्सियल प्रोग्राम भी शामिल है, अदालती और प्रशासनिक संलग्नता, और सख्त निर्देशों वाली न्यायालय की कार्यप्रणाली, साक्ष्य कानून, और स्थानीय कानूनी प्रक्रियाओं पर गहन प्रशिक्षण दिया जाता रहा है, जिससे नए जजों की तैयारी सुनिश्चित होती है।

याचिका में प्रक्रिया संबंधी निष्पक्षता (प्रॉसिजरल फेयरनैस) के बारे में प्रश्न खड़े किये गये हैं। पिछली सुनवाई के दौरान, उच्च न्यायालयों से प्राप्त शपथ-पत्रों को सार्वजनिक नहीं किया गया और न ही उम्मीदवारों के साथ साझा किया गया था, तथा इस प्रकार उन्हें प्रतिक्रिया देने या प्रक्रिया में सार्थक रूप से भाग लेने का अवसर नहीं मिल सका था।

इसके अतिरिक्त, महिलाओं पर प्रायः कम उम्र में विवाह करने का दबाव रहता है, इसलिये वे वकालत की अनिवार्य अवधि पूरी नहीं कर पातीं।

तीन साल की वकालत की अनिवार्यता से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को नुकसान होने की बात कही गई, क्योंकि उन्हें वरिष्ठ वकीलों का मार्गदर्शन तथा वित्तीय सहयोग नहीं मिल पाता है।

याचिका में यह दलील भी दी गई

- सुप्रीम कोर्ट ने मई 2025 में न्यायिक सेवा के लिए 3 साल की प्रैक्टिस का नियम बहाल कर दिया था और तब से इसके खिलाफ याचिकाएं दायर हुई हैं, इस फैसले को 17 आधारों पर चुनौती दी गई।
- याचिका दायर करने वालों का कहना है कि इसमें सबसे बड़ा नुकसान न्यायिक सेवा में जाने की इच्छुक महिलाओं का होगा, क्योंकि उन पर जल्दी शादी करने का दबाव होता है। इसलिए वे तीन साल प्रैक्टिस की अनिवार्यता की शर्त को पूरा नहीं कर पाएंगी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कांग्रेस शासन में लगे सरकारी वकीलों को हटाने पर अंतरिम रोक

जयपुर, 16 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान शहर की निचली अदालतों में नियुक्त हुए सरकारी वकीलों को हटाने पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही, अदालत ने इन्हें कार्य करते रहने देने की अनुमति दी है। अदालत ने मामले में मुख्य सचिव, प्रमुख विधि सचिव, एसीएस गृह और जयपुर कलेक्टर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस अनिल उपमन की एकलपीठ ने ये आदेश साजिया खान व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता रिपुदमन सिंह नरूका ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता पूर्व में शहर की निचली अदालतों में सरकारी वकील के तौर पर

- हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव, प्रमुख विधि सचिव आदि को नोटिस जारी किये।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)